Office of the Collector & Distt. Magistrate Distt. Indore [M.P.]

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर,म.प्र.

क्रमांक/ 1448 /री.ए.डी.एम. /2020 इन्दौर, दिनांक 26 /05/2020

"आदेश"

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

(NBFC के संचालन व उपभोक्ताओं को खाते संचालन में छूट संबंधी निर्देश)

पूर्व जारी आदेश क्रमांक क्रमांक/567-568/री0ए0डी0एम0/2020, दिनांक 29.03.2020 के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं का समावेश उक्त पूर्व जारी आदेश में किया जाता है:-

पूर्व में जारी आदेशों के माध्यम से समय-समय पर आम जनता की मूलभूत सुविधाओं हेतु आवश्यक छूट निश्चित समयावधि के लिए दी जाती रही है । दिनांक 19/05/2020 को विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई जिससे आमजन को बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध मे व कार्यवाहियों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई थी तदउपरान्त भी लगातार बैंक के अधिकारियों से समय-समय पर इस संबंध में चर्चा की गई है । उक्त हुई चर्चाओं के बाद वर्तमान परिस्थिति में मैं मनीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर निम्नानुसार सशर्त बैंक संचालन की अनुमति प्रदान करता हूं:-

::: NBFC/बैंक के संबंध में निर्देश:::

1. इंदौर जिले के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के कार्यालयो को खोलने एवं ग्रहाको को ऋण प्रदान करना एवं अदएगी हेतु अनुमति दी जाती है।
2. इन NBFC के बैंक खातो मे भी व्यावसायिक लेन देन की अनुमति प्रदान की जाती है।
3. सभी NBFC के शाखा प्रबंधक अपने स्तर से प्रतिदिन 10 ग्राहकों को मैसेज भेजकर ऋण संबंधी कार्य हेतु बुला सकेंगे । ग्राहक उक्त मैसेज को कफ्र्यु पास के रूप में दिखायेंगे, जिसे पुलिस द्वारा मान्य किया जावेगा । शाखा में प्रवेश करते समय ग्राहक अनिवार्य रूप से मास्क धारण किये होना चाहिये तथा उन्हें सेनेटाईज किया जावेगा, उसके बाद ही भीतर प्रवेश दिया जावेगा । NBFC में उपस्थित कर्मचारियों एवं ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना आवश्यक होगा, सभी के द्वारा मास्क का उपयोग किया जावेगा ।
4. समस्त इन्दौर जिले में ऐसे NBFC के कर्मचारी जिनकों प्रबंधन द्वारा कंपनी की ड्यूटी पर लगाया गया है, वे शहर में अपने निवास से अपने कार्य स्थल पर जाते वक्त कंपनी द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ अवश्य रखेंगे तथा पुलिस द्वारा पूछे जाने पर उसे दिखावेंगे। इन व्यक्तियों द्वारा पहचान पत्र दिखाये जाने पर पुलिस उन्हें कार्य स्थल तक जाने हेतु अनुमति देगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी उक्त व्यक्ति अपने घर से अपने कार्य स्थल, जिनका पहचान पत्र जारी हुआ है उसी रास्ते पर जा सकेंगे तथा वही व्यक्ति घर से बाहर निकल सकेगा जिसे कंपनी द्वारा ड्यूटी पर लगाया है।

समय-समय पर जारी शासन निर्देशों व स्थानीय स्तर पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, सभी आवश्यक चिकित्सीय मापदण्डों का पालन सुनिश्चित् करना अनिवार्य होगा ।

District Magistrate
District Indore (M.P.)

Scanned with CamScanner

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावषील किया जाना आवष्यक हो गया है। सूचना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विषेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा । उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत लागू रहेंगी।

यह आदेश दिनांक /05/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

1449

पृ.क्र................/री0ए0डी0एम0/2020

इन्दौर, दिनांक /05/2020
20-5-2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
5. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
6. अति0 पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातयात, इन्दौर ।
7. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी/एस0डी0ओ0(पी)/नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ..., इन्दौर
8. लीड बैंक मैनेजर, जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
9. थाना प्रभारी, थाना...जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
10. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाष हेतु अग्रेषित।
11. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रषासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।
13. सर्व संबंधित ....

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर
District Magistrate
District-Indore (M. P.)

Scanned with CamScanner